# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

## विविध बैंक प्रकरण संख्या 377 / 2026(GCMS : 2025/504)

**चोला मंडलम इन्वेस्टमैंट एंड फाईनैंस कम्पनी लिमिटेड,** पजीकृत कार्यालय प्रथम माला, डेयर हाउस नं. 2, एन.एस.सी., बोस रोड, चेन्नई – 600001 **शाखा कार्यालय** सैकिण्ड फ्लोर, 191 – जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर जरिये एरिया कलैक्शन मैनेजर, इन्द्रजीत सिंह धेतरवाल पुत्र श्री सोहन लाल जाति जाट **हाल निवासी** 191 जी ब्लॉक, सैकिण्ड फ्लोर, पीटर इंग्लैण्ड शॉरूम के ऊपर, सुखाडिया सर्किल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

**बनाम**

1. **प्रिंसपाल सिंह** पुत्र जगसीर सिंह निवासी 8 एनएन ए, नजदीक गुरूद्वारा श्रीगंगानगर, राजस्थान–335041 **द्वितीय पता** पट्टा नं. 574, बुक नम्बर 12, ग्राम पंचायत 8 एनएनए, पंचायत समिति पदमपुर नजदीक गुरूद्वारा जिला श्रीगंगानगर – 335041
2. **जगसीर सिंह** पुत्र बन्ता सिंह निवासी 8 एनएन ए, नजदीक गुरूद्वारा श्रीगंगानगर, राजस्थान–335041 **द्वितीय पता** पट्टा नं. 574, बुक नम्बर 12, ग्राम पंचायत 8 एनएनए, पंचायत समिति पदमपुर नजदीक गुरूद्वारा जिला श्रीगंगानगर – 335041
3. **गुरविन्द्र कौर पत्नी** जगसीर सिंह निवासी 8 एनएन ए, नजदीक गुरूद्वारा श्रीगंगानगर, राजस्थान–335041 **द्वितीय पता** पट्टा नं. 574, बुक नम्बर 12, ग्राम पंचायत 8 एनएनए, पंचायत समिति पदमपुर नजदीक गुरूद्वारा जिला श्रीगंगानगर – 335041

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.04.2026

**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी बैंक / कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण प्रिंसपाल सिंह, जगसीर सिंह एवं गुरविन्द्र कौर को ऋण सुविधा के रूप में 15.97 / – लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 16.03.2024 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के ऋण खाते में दिनांक 03.09.2025 को 20,11,326 / – रूपये की ऋण राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी गुरविन्द्र कौर द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति प[illegible] बुक नम्बर 12, ग्राम पंचायत 8 एनएन ए, प[illegible] गुरूद्वारा जिला श्रीगंगानगर (राज.)–3350[illegible] पश्चिम में जगसीर सिंह उत्तर में भगवंत सिंह और दक्षिण में रोड है,** [illegible] भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**मैने, पत्रावली** में **उपलब्ध** उनके प्रार्थना **पत्र धारा 14,** शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण प्रिसंपाल सिह, जसगीर सिंह एवं गुरविन्द्र कौर** को ऋण सुविधा के रूप में 15.97/– लाख रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख सतानवे हजार मात्र) **की स्वीकृति दिनांक 16.03.2024 को प्रदान की गई थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गुरविन्द्र कौर ने अपनी अचल **सम्पत्ति पट्टा नं. 574, बुक नम्बर 12, ग्राम पंचायत 8 एनएन ए, पंचायत समिति पदमपुर नजदीक गुरूद्वारा जिला श्रीगंगानगर (राज.) –335041,** जिसके पूर्व में रोड़, **पश्चिम में जगसीर सिंह, उत्तर में भगवंत सिंह और दक्षिण में रोड़ है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 01.09.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की विधिक तामील हो गई है।

**वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील** ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

**जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी गुरविन्द्र कौर की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 574, बुक नम्बर 12, ग्राम पंचायत 8 एनएन ए, पंचायत समिति पदमपुर नजदीक गुरूद्वारा जिला श्रीगंगानगर (राज.)–335041, जिसके पूर्व में रोड़, पश्चिम में** जगसीर सिंह, उत्तर में भगवंत सिंह **और दक्षिण में रोड़ है,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

**जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी** नोटिस 04.09.2025 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 04.09.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.09.2025 को भिजवाये गये थे, **जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के पोस्ट ऑफिस ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस की तामील हो गई है,** इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 12.09.2025 को प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **गुरविन्द्र कौर** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनैंस कम्पनी लि. का उक्त प्रार्थना पत्र** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी गुरविन्द्र कौर द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 574, बुक नम्बर 12, ग्राम पंचायत 8 एनएन ए, पंचायत समिति पदमपुर नजदीक गुरूद्वारा जिला श्रीगंगानगर(राज.)-335041, जिसके पूर्व में रोड़, पश्चिम में जगसीर सिंह, उत्तर में भगवंत सिंह और दक्षिण में रोड़ है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:21 IST
Reason: SelfAttested

**यह आदेश आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(डॉ. अमित यादव)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर